MAP_IT

Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology

(A Regd. Society of Govt. of M.P. Under Department of Science & Technology)

क्र./मैप-आईटी/जीआईएस/2016/2013 भोपाल, दिनांक: 31../12/2016

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, समस्त विभाग, म.प्र. शासन
2. विभागाध्यक्ष, समस्त विभाग, म.प्र. शासन
3. संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग, म.प्र.
4. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र.
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

विषय: विभागीय जीआईएस डाटा एवं साझा किये जाने हेतु प्रोटोकॉल उपलब्ध कराने विषयक ।

विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश में जीआईएस डाटा की एकल रिपाजिटरी संधारित किये जाने एवं उसके माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए निर्णय सहायक प्रणाली विकसित किये जाने के उद्देश्य से म.प्र. स्टेट स्पाशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना संचालित है । परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा मैप-आईटी को नोडल एजेंसी नामांकित किया गया है ।

परियोजना सम्बन्धी नीतिगत निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेट स्पाशियल इंफ्रास्ट्रक्चर समिति द्वारा निम्न निर्णय लिए गये हैं -

1. समस्त विभागों द्वारा विभाग में उपलब्ध जी आई एस डाटा एम.पी.एस.एस.डी.आई. को उपलब्ध कराया जाये।
2. एम.पी.एस.एस.डी.आई. अंतर्गत तैयार किये जा रहे एकल संग्रहण (Single repository) का विभागों द्वारा अधिकतम उपयोग किया जाये |
3. एम.पी.एस.एस.डी.आई. अंतर्गत तैयार किये जा रहे एकल संग्रहण (Single repository) में वांछित डाटा अनुपलब्ध होने की दशा में विभाग अपने स्तर से जीआईएस डाटा तैयार/क्रय कर सकेंगे तदुपरांत तैयार/क्रय डाटा एम.पी.एस.एस.डी.आई. से साझा किया जाना सुनिश्चित करेंगे |
4. वन विभाग में उपलब्ध नक़्शे एवं सम्बंधित डाटा को एसएसडीआई से साझा किया जाये एवं उसे निरंतर अद्यतन रखने हेतु आवश्यक तंत्र विकसित कर एसएसडीआई से एकीकृत किया जाये |

State IT Centre, 47-A, Arera Hills, Bhopal-462011 Tel : +91-755-2518702, Fax : +91-755-2579824
Website : www.mapit.gov.in • E-mail : map_it@mp.nic.in, info@mapit.gov.in

MAP_IT

5. भू नियोजन सम्बन्धी कार्यों के त्वरित निर्णय हेतु विभिन्न विभागों को सीमलेस राजस्व नक्शों की आवश्यकता होती है | इस तथ्य के दृष्टिगत राजस्व विभाग द्वारा निम्न कार्यवाही एक माह की सीमा में पूर्ण की जाये -

    i. राजस्व नक़्शे में समय समय पर होने वाले परिवर्तन यथा खसरों का बटांकन, संशोधन आदि रियल टाइम में एसएसडीआई पर उपलब्ध करने हेतु आवश्यक तंत्र का विकास किया जाये |

    ii. महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स (RoR) डाटा की अद्यतन स्थिति रियल टाइम में एसएसडीआई पर उपलब्ध करने हेतु आवश्यक तंत्र का विकास किया जाये |

6. बिंदु क्र. 3 अनुसार जीआइएस डाटा / सेटेलाइज इमेजरी क्रय की स्थिति में क्रय हेतु वांछित डाटा के उपयुक्तता संबंधी परीक्षण का कार्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा किया जायेगा एवं समिति की अनुशंसा उपरांत क्रय प्रक्रिया नोडल एजेंसी द्वारा की जाएगी |

7. परियोजना अंतर्गत संधारित किये जाने वाले जीआइएस डाटा को साझा करने एवं उसे अद्यतन रखने के लिए डाटा का विभागवार स्वामित्व तय किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय प्रोटोकॉल निर्धारण तय किये जाने हेतु परिशिष्ट - 1 अनुसार जानकारी सम्बंधित विभाग द्वारा प्रदाय की जाये |

विभाग में उपलब्ध जीआईएस डाटा एवं डाटा के साझा हेतु प्रोटोकॉल निर्धारण बावत संलग्न परिशिष्ट की पूर्ति कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध है ।

अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मैप-आईटी, भोपाल

परिशिष्ट

मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल

विभागीय डाटा के प्रबन्धन एवं साझा किये जाने हेतु प्रारूप प्रोटोकॉल

क०	डाटा का विवरण	स्वामी विभाग/ संस्था	विभागीय डाटा उपयोगकर्ता से साझा करने हेतु प्रोटोकॉल	उपयोगकर्ता श्रेणी जिनसे डाटा साझा किया जाना है	साझा किये जाने हेतु विभागीय अनुमति
1	उदहारण के लिए - खसरा नक्सा एवं ROR	उदहारण के लिए - राजस्व/ आयुक्त भू० अभिलेख	1- सिर्फ देखने हेतु वेब आधारित	शासकीय विभाग ☐	आवश्यक नही है ☐ आवश्यक है ☐
				अन्य विभागीय संस्था ☐	आवश्यक नही है ☐ आवश्यक है ☐
				समस्त ☐	आवश्यक नही है ☐ आवश्यक है ☐
			2- सिर्फ देखने हेतु डाटा बेस साझा किया जाना	शासकीय विभाग ☐	आवश्यक नही है ☐ आवश्यक है ☐
				अन्य विभागीय संस्था ☐	आवश्यक नही है ☐ आवश्यक है ☐
				समस्त	आवश्यक नही है ☐ आवश्यक है ☐
			3- डाटा की प्रति (Retain) रखना	शासकीय विभाग ☐	आवश्यक नही है ☐ आवश्यक है ☐
				अन्य विभागीय संस्था ☐	आवश्यक नही है ☐ आवश्यक है ☐
				समस्त	आवश्यक नही है ☐ आवश्यक है ☐